हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

योजना का नामः—

यह योजना हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना कही जायेगी जो 11वीं पंचवर्षीय अवधि में चलायी जायेगी जिसे यथावश्यकता अगले योजनाकाल में भी विस्तारित किया जा सकेगा।

उद्देश्य

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास हेतु की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक विभिन्न कार्यवाहियॉ इसमें सम्मिलित होगी।

योजना का कार्यक्षेत्रः—

यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास वाले निम्न लिखित प्रमुख 28 जनपदों में संचालित की जायेगी किन्तु उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एक वर्ष में कुछ ही जिले लिये जा सकेंगें जिनका चयन प्रत्येक वर्ष उद्योग निदेशक द्वारा किया जायगाः— वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झॉसी, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, बरेली, मेरठ, चित्रकूट, आजमगढ़, संत रविदास नगर (भदोही), बुलन्दशहर (खुर्जा), अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद,, मथुरा, ललितपुर, बॉदा, फर्रूखाबाद, रामपुर, मैनपुरी, बाराबंकी, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा एवं बिजनौर। एक वर्ष में कुल 30 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

पात्रताः—

इस योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगें किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी परिवार की वार्षिक आय अथवा न्यूनतम् शैक्षिक अर्हता का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

योजना का प्रकार एवं रूप—रेखाः

योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्यन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणो के उपयोग भी सिखाये जायेगें। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित की जायेगी जिन्हें रू0 4,000/— का मासिक मानदेय एवं रू0 1000/— कच्चेमाल हेतु दिया जायगा। कच्चेमाल के सदुपयोगिता की जॉच महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जायेगी। जिनके अधीन दस प्रशिक्षार्थी रखे जायगें जिन्हें रू0 500/— मासिक स्टाईपेन्ड दिया जायगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षार्थी को कोई अन्य धनराशि देय नहीं होगी। प्रशिक्षण सत्र छः माह का होगा।

Scanned by CamScanner

एक प्रशिक्षक को रू0 4,000/– मानदेय एव रू0 1000 कच्चेमाल हेतु	X 6 माह का कार्यक्रम रहेगा।		व्यय 24,000/– 06,000/–	
10 प्रशिक्षार्थी	500/- मासिक स्टाईपेन्ड देय है।	X 6 माह कार्य क्रम रहेगा।	व्यय 30,000/–	
		कुल व्यय	60,000/-	X 30 प्रशिक्षण केन्द्र चलेंगे।
			कुल व्यय	18,00,000/-

बजट व्यवस्था

योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार के वार्षिक बजट से रू0 18.00 लाख प्रथम वर्ष एवं पंचवर्षीय योजना काल के शेष वर्षो में भी रू0 18.00 लाख की बजट व्यवस्था की जायगी। बजट अवमुक्त होने की प्रतीक्षा नहीं की जायगी अपितु वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रशिक्षण कार्य चलाया जायगा।

लाभार्थियों का वित्त पोषण

प्रशिक्षित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर विभिन्न विभागों की उपयुक्त योजनाओं से लाभ दिलाया जायेगा जिनमें मुख्यतः निम्न विभागों की योजनायें लाभकारी होगीं:–

1– उद्योग निदेशालय की पी0एम0आर0वाई0योजना।
2– खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनायें।
3– समाज कल्याण विभाग की मार्जिन मनी/पूँजी उपादान योजनायें।
4– समाज कल्याण विभाग की कार्यशाला ऋण/अनुदान की योजना।
5– अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनायें।
6– उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनायें।
7– उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनायें।

कियान्वयन की व्यवस्था

योजना का कियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र,के माध्यम से किया जायेगा। इसकी स्थापना प्रवन्धन एवं संचालन के लिए सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

योजना के कियान्वयन की मानीटरिंग

मण्डल स्तर पर परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, एवं राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय स्तर से मानीटरिंग की जायेगी जिसका प्रारूप निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्र से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव,लघु उद्योग की मासिक बैठकों में समीक्षा करायी जायेगी तथा योजना में यथावश्यकता आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन किया जायेगा। योजना के विभिन्न प्राविधानों एवं व्यवस्थाओं पर व्याख्या की आवश्यकता होने पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

Scanned by CamScanner